राजस्थान सरकार

राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

निदेशालय बाल अधिकारिता

जी–3/1 ए. अम्बेडकर भवन (विस्तार), होटल राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, जयपुर

क्रमांक एफ 14(332)(मुवाअ)/व.नि./13/ 19173 जयपुर, दिनांक 13-9-2013

आदेश

राज्य सरकार द्वारा बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समेकित बाल संरक्षण योजनान्तर्गत देखरेख आवश्यकता की श्रेणी में आने वाले बच्चों का सर्वोत्तमहित सुनिश्चत करने एवं उनके स्वस्थ शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए समुदाय एवं ग्राम पंचायत की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर सतत् निगरानी रखने एवं उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार एवं आवश्यकता अनुशंषा करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन महामहिम राज्यपाल महोदया के आदेश कमांक क.एफ.() सान्याअ/प्रशि/परा/2012/348 दिनांक 4.12.2012 को स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त संबंध में ''ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति'' के कार्यो के सुचारू संचालन हेतु दिशा–निर्देश की प्रति संलग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(डॉ.मनजीत सिंह) 12/9/13

अध्यक्ष,

राजस्थान स्टेट चाइल्ड

प्रोटेक्शन सोसायटी

क्रमांक एफ 14(332)(मुवाअ)/व.नि./13/ 19174-746 जयपुर, दिनांक 13-9-2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/ गृह विभाग/ विधि विभाग/ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव श्रम/ स्कूल शिक्षा/महिला एवं बाल विकास विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, जयपुर।

9. समस्त जिला प्रमुख, जिला परिषद............................।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद...............................।
11. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई............. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई...................... को भेज लेख है कि जिले के समस्त ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत को दिशा-निर्देश एवं प्रस्तावित एजेण्डा भेजना सुनिश्चित करावें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. समस्त अध्यक्ष बाल कल्याण समिति...।
14. समस्त अध्यक्ष, किशोर न्याय बोर्ड...।
15. समस्त अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं बाल गृह/ गैर राजकीय बाल गृह...........।
16. समस्त जिलाधिकारी, श्रम विभाग....................... को पालनार्थ।
17. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी.............................को पालनार्थ।
18. समस्त जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.......................को पालनार्थ।
19. समस्त प्रधान, पंचायत समिति .... को पालनार्थ।
20. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति.................को पालनार्थ।
21. समस्त सरपंच, ग्राम पंचायत................................ को पालनार्थ।
22. समस्त ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत..........................को पालनार्थ।
23. समस्त ए.एन.एम./आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत................को पालनार्थ।
24. रक्षित पत्रावली।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति निर्देशिका

भारत सरकार द्वारा बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000, राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2011 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना अन्तर्गत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता की श्रेणी में आने वाले बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने, बाल संरक्षण सेवाओं तक बेहतर पहुंच एवं उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार एवं सतत् निगरानी करने के लिए समुदाय एवं अन्य विभाग की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया हैं।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति गठित करने एवं देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता की श्रेणी में आने वाले बच्चों को योजनाओं का लाभ एवं प्रभावी कियान्यवन हेतु यह निर्देशिका ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के लिए तैयार की गई है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000, राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2011 और समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत गठित समिति निम्न उदेदश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगीः–

1. बाल अधिकार एवं बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मुददों पर समझ स्थापित कर समुदाय को जागरूक करना।
2. पंचायत स्तर पर जोखिम भरे बच्चों को चिन्हित कर योजनाओं का लाभ दिलाने में विभाग की सहायता करना।
3. बाल कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समुदाय स्तर पर पहुंचाकर लोगों को जागरूक करना एवं योजनाओं से बच्चों को जोड़ना।
4. जरूरतमंद बच्चों को चिन्हित कर प्रायोजन (स्पॉनसर्शिप) पश्चातवर्ती देखभाल, पालन पोषण देखभाल, दत्तक ग्रहण के लिए परिवारो को प्रोत्साहित करना व मुख्य धारा से जोड़ना।
5. परिवार से बिछड़े हुए बच्चों की पहचान कर बच्चों को परिवार में भेजने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई को सहायता प्रदान करना।
6. बच्चों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुददें जैसे बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल तस्करी, बाल शोषण, हिंसा दुर्व्यवहार आदि मुददों पर लोगों को जागरूक कर बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने में सहायता देना।
7. पंचायत द्वारा बच्चों से सम्बन्धित वार्षिक कार्य योजना तैयार कर ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रदान करना।
8. बच्चों के संरक्षण सम्बन्धित सभी कानून, योजनाएं, नीति, सेवाएं पंचायत को उपलब्ध कराना एवं सम्बन्धित अधिकारी को सूचित करना।
9. बच्चों के लिए प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना (जैसेः–पालनहार, छात्रवृत्ति, आंगबाड़ी सेवाऐं, मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना इत्यादि) सेवाओं को अविलम्ब प्रदान किये जाने में सहयोग प्रदान करना।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति निर्देशिका

1. ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचनाः–

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 348 दिनांक 4.12.2012 अनुसार निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	सदस्य का नाम	समिति में पद
1.	सरपंच, ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2.	ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत	सदस्य–सचिव
3.	वार्ड पंच (समस्त)	सदस्य
4.	प्रधानाध्यापक, स्थानीय राजकीय विद्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा)	सदस्य
5.	बाल कल्याण अधिकारी, संबंधित पुलिस थाना	सदस्य
6.	जिला बाल संरक्षण इकाई का सदस्य (सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा नामित)	सदस्य
7.	ए.एन.एम., ग्राम पंचायत	सदस्य
8.	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, ग्राम पंचायत	सदस्य
9.	अध्यक्ष, संबंधित शाला प्रबंधन समिति, स्थानीय राजकीय विद्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा)	सदस्य
10.	दो बाल प्रतिनिधि (कम से कम एक बालिका), प्रधानाध्यापक द्वारा नामित	सदस्य
11.	समुदाय के दो सम्मानित सदस्य/नागरिक समाज के प्रतिनिधि (कम से कम एक महिला)	सदस्य

2. चयन प्रक्रिया

1. समिति में समुदाय के सम्मानित सदस्य/नागरिक समाज के प्रतिनिधियों का चयन संबंधित प्रधान, पंचायत समिति द्वारा किया जायेगा, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।
2. ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की रूपरेखा में बिन्दु संख्या 10 में प्रधानाध्यापक द्वारा नामित दो बाल प्रतिनिधियों के संबंध में विद्यालय की उच्च कक्षा में अध्ययनरत दो सबसे प्रतिभावन विद्यार्थियों का चयन एक वर्ष के लिए किया जायेगा।

3.समिति का कार्यकालः–

1. समिति में समुदाय के सम्मानित सदस्य/नागरिक समाज के प्रतिनिधियों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।
2. विद्यालय की उच्च कक्षा में अध्ययनरत दो प्रतिभावन विद्यार्थियों का चयन एक वर्ष के लिए किया जायेगा।

4.सदस्यों का प्रशिक्षण एवं मार्ग दर्शनः–

समिति के गठन पश्चात बच्चों के संरक्षण से जुड़े मुददो जैसे–बच्चों के प्रति संवेदनशीलता/समिति के कार्य एवं जिम्मेदारी/बच्चों से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं/बाल अधिकार/गांव स्तर पर बालकों से जुड़े संरक्षण के मुद्दे/स्कूल से जुड़े संरक्षण के मुद्दे आदि

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति निर्देशिका

सभी पर जिला स्तरीय बाल संरक्षण सोसायटी, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और राजस्थान राज्य बाल संरक्षण सोसायटी के माध्यम से नियमित प्रशिक्षण और आमुखिकरण उपलब्ध कराया जायेगा।

समिति के सदस्यों के नाम एवं सम्पर्क नम्बर पंचायत भवन, स्कूल, आगंनबाड़ी केन्द्र, सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र पर चस्पा करवाया जायेगा।

जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से समय–समय पर आदेश / परिपत्र / निति–मार्गनिर्देशिका / अन्य संबंधित सामग्री उपलब्ध करवाया जायेगा।

5. अध्यक्ष के कार्यः–

1. अध्यक्ष द्वारा प्रति माह एक बैठक तथा आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक बैठक आयोजित करना।
2. सचिव की अनुपस्थिति में सभी कार्यो को सुचारू रूप से करना।
3. बच्चों से जुड़ी सभी समस्याओं पर चर्चा करना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पहल करना।
4. बैठक में लिए गये निर्णय को पंचायत मिटिंग में पारित करवाना और पहल करना।
5. बैठक में बाल बाल संरक्षण से संबंधित मार्ग–निर्देशिका, परिपत्र, आदेश आदि की जानकारी सदस्यों को उपलब्ध करवाना और आवश्यक कार्यवाही करना।
6. बैठक में बाल संरक्षण से संबंधित सभी मुद्दों पर सदस्यों को जागरूक कर कार्य विभाजन करना।
7. अन्य कार्य जो विभाग द्वारा निर्देशित किया जाए।

6.सचिव के कार्यः–

1. बाल संरक्षण समिति की प्रत्येक प्रस्तावित बैठक की सूचना लिखित रूप में सभी सदस्यों को देना।
2. बैठक की उपस्थिति एंव बैठक कार्यवाही विवरण तैयार रखना होगा।
3. बाल संरक्षण समिति द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों (ब्लाक स्तरीय बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग एवं संबंधित को सभी पत्रांक, आदेश एंव रिर्पोट प्रस्तुत करना।
4. अध्यक्ष और सदस्यों की अनुपस्थिति में समस्त कार्य की जिम्मेदारी को पूरी तरह से सुनिश्चित करना।

7. बैठकः–

प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक आयोजित करनी आवश्यक हैं। समिति की बैठक पंचायत परिसर में पंचायत की मासिक बैठक या किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर की जा सकती हैं। बैठक में प्रत्येक सदस्यों को स्पष्ट एजेंडा की प्रति के साथ उपस्थित होना आवश्यक होगा।

1. समिति के अध्यक्ष आवश्यकता पड़ने पर या आपातकालीन स्थिति देखते हुए बैटक नोटिस जारी कर सकता हैं।
2. सचिव और सदस्य मिटिंग से पहले बिना किसी कारण स्थान एंव एजेंड़ा परिवर्तित नहीं करेगें।

3. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव विशेष बैठक तभी बुला सकता हैं जब 2/3 सदस्यों का लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ हो।
4. बैठक में समिति के प्रत्येक सदस्यों को कम से कम दो घण्टे की बैठक आवश्यक हैं।
5. समिति की प्रत्येक बैठक की अवधि लम्बित कार्यो एंव प्रकरणों पर निर्भर होगी।

8. बैठक के लिए कोरमः—

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक के लिए 2/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक हैं। समिति के उपस्थित लोगों के बहुमत से निर्णय लेना होगा। समिति के अध्यक्ष को निणर्य लेने की शक्ति होगी।

9. ग्रांम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की कार्य एवं भूमिकाः—

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को अपने गांव/पंचायत में सर्वे के माध्यम से श्रेणी अनुसार रिपोर्ट तैयार करनी होगी जिसमें कानून से संघर्षरत/ कानून के सम्पर्क में आने वाले/ देखरेख एवं संरक्षण वाले बच्चों की संख्या कितनी हैं और साथ ही बच्चों से सम्बधित यह डाटा/श्रेणीवार सम्पूर्ण सूचना से विभाग को समय—समय पर अवगत कराना होगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को निम्न कार्य सम्पादित करने होगें:—

1. स्कूल नामांकन, बच्चों का नाम, लिंग अनुपात, नामांकन आयु, बच्चों का शिक्षा स्तर, गाँव में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाएँ।
2. बच्चों से संबंधित कार्य योजना तैयार करने एंव ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण सर्वे करने के लिए।
3. बच्चों से जूड़े कानून, नीति, योजनाएं और सेवाओं की जानकारी एकत्र कर उनका प्रचार—प्रसार करना, कार्यान्वियन, एंव मुल्याकंन करना।
4. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, संस्थागत एवं गैर संस्थागत देखभाल वाले बच्चों को सूचीबद्व करना एवं उनकों संबंधित योजनाओं से लाभ दिलाना।
5. समय—समय पर बाल संरक्षण समिति को बच्चों की गतिविधियां एंव प्रस्तावित कार्यक्रम विभाग के साथ विचार विमर्श करके कराने होगें।
6. बच्चों को बाल मजदूरी, भिक्षावृत्ति, बाल तस्करी, बाल शोषण आदि से मुक्त करने में सहायता प्रदान करना एवं ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति, बाल कल्याण समिति, स्थानीय पुलिस को सूचित करना।
7. पंचायत से पलायन होने वाले बच्चें, स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की सूची संधारण करना एवं समय—समय पर बच्चों/परिवार को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु प्रेरित करना व प्रचार—प्रसार करना।
8. गाँव के सभी बच्चों का टीकाकरण रिकॉर्ड, जन्म व मृत्यु दर रिकॉर्ड, ग्राम से गुमशुदा व गुमशुदा प्राप्त बच्चों की लिंग अनुसार, आंगनवाड़ी केन्द्र व स्कूल में नामाकिंत बच्चे, स्वास्थ्य सुविधाएँ एवं गाँव में बच्चों को प्राप्त होने वाली सुविधओं का रिकॉर्ड संग्रहित करना।
9. पंचायत क्षेत्र में आने वाले बाल गृह/ शिशु गृह /आश्रय गृह/ विमंदित गृह का रिकॉर्ड रखना एवं बच्चों को गैर संस्थागत देखभाल में जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति निर्देशिका

10. पंचायत में निवासरत् समस्त परिवार/बच्चों को आधार कार्ड से जोड़ने हेतु प्रोत्साहित करना एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से कैम्प आयोजित कर आवश्यक कार्यवाही करना।
11. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य निस्तारण एवं पालना करना।
12. पंचायत को बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल शोषण, अशिक्षा, कुपोषण आदि से मुक्त घोषित करने में सहयोग करना।
13. समिति को पुलिस से उन सभी बच्चों का डेटा प्राप्त करना होगा जो बच्चे किसी कारण से कानून के साथ संघर्षरत/सम्पर्क में हैं जैसे चोरी, बाल अपराध, काइम, मार–पीट आदि।
14. समिति को पुलिस से उन सभी व्यक्तियों का डेटा प्राप्त करना होगा जो लोग बालकों से जुड़े किसी भी तरह के कानूनी अपराध में दोषी ठहराये गये हैं जिससे की उन पर निगरानी रखी जा सके तथा बच्चों को उनसे दूर रखा जा सके।
15. समिति को क्षेत्र में आने वाले सभी अल्ट्रा साउण्ड क्लीनिको के संदर्भ में यह जानकारी रखनी होगी कि वह सभी रजिस्टर्ड है और PCPNDT एक्ट का पालन कर रहें है।
16. गाँव में आंगनवाड़ी एवं स्कूल स्तर गटित सभी समितियों जैसे पैरेन्ट टीचर एसोसिएशन (माता–पिता शिक्षक संघ) / मदर टीचर एसोसिएशन (माता शिक्षक संघ) / विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ समन्वय कर बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को सुनिश्चित करना।
17. क्षेत्र में कार्यरत् गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन तथा संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना।
18. समिति को प्रत्येक तीन माह में अपने क्षेत्र में हुये कार्यक्रम/प्रगति की रिपोर्ट पंचायत/बी. डी. ओ./सी. डी. पी. ओ./आई. सी. पी. एस./आर. एस. सी. पी. सी. आर. को भेजनी होगी।
19. समिति द्वारा यदि बालक से जोडे मुद्दे भेदभाव/शोषण हिंसा किसी तरह के अत्याचार की सुनवाई/बैठक एक निश्चय समय सीमा में करनी होगी साथ ही उसकी रिपोर्ट/निष्कर्ष सम्बन्धित विभाग (जिला महिला एवं बाल विकास, समाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग) को देनी होगी।
20. समिति को क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाली सभी ग्राम सभाओं/स्टन्डिंग कमेटी (स्थायी समिति) बैठक में भागीदारी करते हुए क्षेत्र के देखरेख एवं संरक्षण वाले बच्चों की स्थिति अवगत कराना और सरकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु पहल करना।
21. समिति को ग्राम पंचायत के साथ समन्वय कर "बाल ग्राम सभा" की बैठकों का एक साल में दो बार आयोजन करना एंव समिति उक्त बाल ग्राम सभा में गाँव के सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी और पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में उनके विचार/मुद्दों/सुझाव लेगी तथा उनके सभी विचारों/मुद्दों और सुझावों को संबंधित विभागों महिला एवं बाल विकास/बाल अधिकारिता/ जिला बाल संरक्षण इकाई/ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं स्वयंसेवी संगठनों के साथ चर्चा करेगी।

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति निर्देशिका

22. समिति गाँव में बने बाल समुह और बाल पंचायत को प्रोसाहित करेगी की वह अपने विचार/सुझाव/आवास/संरक्षण के मुददों आदि को बैठक में रखे तथा समिति बैठक के मुददों को सन्दर्भ अधिकारियों तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान करें।

10.बाल संरक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक रिपोर्ट

पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को अपनी त्रैमासिक रिपोर्ट पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति, पंचायत, जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट में निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया जायेगाः–

1. त्रैमासिक बैठकों का सम्पूर्ण ब्यौरा (बैठक संख्या, उपस्थित लोगों की संख्या) इत्यादि।
2. त्रैमासिक गतिविधियों/कार्यक्रम का ब्यौरा।
3. बैठकों में आये सुझाव/शिकायतों का निस्तारण।
4. आगामी कार्य योजना।

<u>ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति हेतु मासिक एजेण्डा</u>

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000, राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2011 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रतिमाह "ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति" की निम्न सम्भावित एजेण्डा पर प्रतिमाह बैठक आयोजित कर सकती हैः–

1. राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय में नामांकन, अनियमित बच्चें, विद्यालय की पंहुच, ड्रापआउट आदि बालक–बालिकाओं की वस्तुस्थिति पर चर्चा एवं निर्णय करना।
2. बाल विवाह को रोकने एवं उक्त बच्चों को जीवन की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु चर्चा एवं निर्णय करना।
3. स्कूल में बाल समिति गठन एवं संचालित समितियों में बाल संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा एवं निर्णय करना।
4. बाल श्रम कार्य हेतु पलायन किये गये बच्चों पर चर्चा एवं निर्णय करना।
5. गांव से गुमशुदा/लाये गये/बाल तस्करी परिवारों/व्यक्तियों को चिन्हित एवं कार्यवाही हेतु चर्चा एवं निर्णय करना।
6. उक्त संबंध में समस्त प्राप्त आकड़ों पर पंचायत में चर्चा एवं निर्णय करना।
7. आंगनवाड़ी केन्द्र द्वारा मां, बच्चे एवं किशोरियों हेतु स्वास्थ्य–पोषण व बाल मित्र शिक्षा, प्रदान की जा रही सेवाओं एवं गुणवत्ता पर चर्चा एवं निर्णय करना।
8. दुर्व्यव्यवहार, शोषण, पीड़ित बच्चों की पहचान एवं सहयोग हेतु चर्चा एवं निर्णय करना।
9. जरूरतमंद बालक–बालिकाओं को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने हेतु चर्चा एवं निर्णय करना
10. "पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति" से पहल करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा एवं निर्णय करना।

11. स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बाल संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा एवं कार्य योजना।
12. स्वास्थ्य व पोषण हेतु प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता एवं लाभान्वितों पर चर्चा एवं निर्णय करना।
13. क्षेत्र में बाल गृह/छात्रावास आदि संचालित होने की स्थिति में वस्तुस्थिति एवं प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में चर्चा एवं निर्णय करना।
14. समिति "बाल मैत्री ग्राम" निर्माण कार्य एवं प्रगति पर चर्चा एवं निर्णय करना।
15. ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति के समक्ष प्रगति रिपोर्ट/प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में चर्चा एवं निर्णय करना।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राजस्थान स्टेट चाइल्ड
प्रोटेक्शन सोसायटी